प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2270/1992

याचिकाकर्ता : नाथूलाल यादव

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री एच. बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित सुश्री संगीता मिश्रा अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से श्री सुशील दुबे शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 के की ओर से श्री यशवंत सिंह अधिवक्ता।

आदेश

(19 जनवरी, 2007 को पारित)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने राज्य और कलेक्टर को पेंशन, उपदान और अन्य लाभ प्रदान करने की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया है, जिसके लिए याचिकाकर्ता विधिक रूप से हकदार है तथा उस पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करें। संशोधन द्वारा, याचिकाकर्ता को प्रार्थना में यह खण्ड समाविष्ट करने की अनुमति दी जाए कि याचिकाकर्ता को पेंशन भुगतान के लिए 17,000 रुपये पुनः जमा करने की अनुमति दी जाए।

2. संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को मध्य प्रांत एवं बरार स्थानीय शासन अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1948') के प्रावधानों के अंतर्गत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जनपद सभा, सारंगढ़ के आदेश द्वारा दिनांक 14.05.1951 को निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता दिनांक 30.04.1992 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर जनपद पंचायत, सारंगढ़ से निम्न श्रेणी लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता को पेंशन के भुगतान से वंचित कर दिया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने उपर वर्णित प्रार्थना स्वीकार किए जाने के लिए यह याचिका प्रस्तुत किया है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल और विद्वान अधिवक्ता सुश्री संगीता मिश्रा ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें अधिनियम, 1948 द्वारा शासित होती हैं, क्योंकि इसे मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1962 (संक्षेप में अधिनियम, 1962) की धारा 386 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अधिनियम, 1948 की धारा 70(1)(ग) में पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जनपद पंचायत, सारंगढ़ ने अपने संकल्प दिनांक 08.10.1991 द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने का संकल्प लिया था और तदनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सारंगढ़ द्वारा अपने विस्तृत पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1992 के द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ता ने पेंशन के भुगतान के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए सरकार को दिनांक 12.11.1991 (अनुलग्नक के) को अभ्यावेदन दिया था। आगे यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार ने आज तक कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया है, और इस प्रकार, यह माना जाना चाहिए कि राज्य सरकार ने अनुमोदन देने से इनकार नहीं किया है और अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. उत्तरदाता क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यशवंत सिंह ने विपरीत तर्क प्रस्तुत किया कि जनपद पंचायत के कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं हैं, सिवाय उन प्रकरणों में जहां सरकार ने पेंशन के भुगतान के लिए 'सामान्य' या 'विशेष आदेश' द्वारा अनुमोदन प्रदान किया हो।

5. उत्तरदाता क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को अधिनियम, 1962 द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है। जो संरक्षित किया गया है वह पेंशन और वेतन का भुगतान है, यदि अधिनियम, 1962 के लागू होने से पहले दिया गया हो।

6. इसके बाद उत्तरदाता क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पेंशन के भुगतान की अनुमोदन के अभाव में याचिकाकर्ता किसी भी पेंशन का हकदार नहीं है। सरकार ने पेंशन के लिए कोई आदेश/अनुमोदन नहीं दिया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि याचिकाकर्ता का यह कथन कि अनुमोदन को कभी अस्वीकार नहीं किया गया, तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 25.03.1995 (अनुलग्नक आर/1) में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिला/जनपद पंचायतों के कर्मचारी पेंशन और उपदान के हकदार नहीं हैं और वे अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा का लाभ उठाते हैं, क्योंकि वे स्वायत्त निकायों के कर्मचारी हैं, न कि राज्य सरकार के।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती हैं क्योंकि याचिकाकर्ता अप्रैल, 1992 में सेवानिवृत्त हो गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क अस्वीकार किये जाने योग्य है तथा उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. वर्ष 1962 के बाद जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों के कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रश्न **जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत कर्मचारी संघ एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (1998 (1) जे.एल.जे. 336)** के प्रकरण में जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन आया, जिसमें यह माना गया कि 1962 के बाद से पंचायतों में कार्यरत कर्मचारी पंचायतों के कर्मचारी रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह से राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं माना जा सकता। मध्य प्रदेश जनपद पंचायत कर्मचारी (योग्यता, भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 (संक्षेप में 'नियम, 1976') पेंशन के भुगतान का प्रावधान नहीं करते हैं और नियम, 1976 केवल उपदान के भुगतान का प्रावधान करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उत्तरदाता क्रमांक 1, 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील दुबे ने उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करते हुए तर्क दिया कि यह कहना गलत है कि सरकार ने याचिकाकर्ता को पेंशन भुगतान की स्वीकृति कभी अस्वीकार नहीं की है। सामान्य परिपत्र अनुलग्नक आर/1 है जो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिला पंचायत/जनपद पंचायत के कर्मचारी पेंशन भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके साथ संलग्न तर्कों और दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

10. विवाद को समझने के लिए अधिनियमों और नियमों के सुसंगत प्रावधानों को उद्धरण करना आवश्यक है, जो नीचे उद्धरित हैं:-

धारा 70(1)(ग) :-

70. (1) धारा 182 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, जनपद प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों और सेवकों को नियोजित कर सकेगा जो उसके कर्तव्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक हों और –

(क) XXX XXX XXX

(ख) XXX XXX XXX

(ग) राज्य सरकार की सामान्य या विशेष अनुमोदन से उन्हें पेंशन प्रदान करना या उनकी ओर से पेंशन या उपदान के लिए अंशदान करना;

(घ) XXX XXX XXX

अधिनियम, 1962 की धारा 386 और 390:-

386. विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्तियां :- (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि में किसी बात के होते हुए भी, मंडल पंचायत, जनपद सभा या तहसील पंचायत के सभी स्थायी अधिकारियों और सेवकों या अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ उस तारीख को, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, विद्यमान वेतन और भत्ते, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ होंगे।

(2) इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पूर्व किसी जनपद सभा या तहसील पंचायत के अधीन सेवारत सभी या कोई स्थायी अधिकारी, सेवक या अन्य कर्मचारी, उनकी नियुक्ति के निबंधनों या उनकी सेवा की शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, किसी जनपद पंचायत के कार्यकलापों में या उसके संबंध में सेवा करने के लिए या यदि उसी तहसील में उनके संविलयन के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं की जा सकती है, तो अन्य तहसीलों में सेवा करने के लिए अपेक्षित हो सकेंगे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) उपधारा (1) या (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, कलेक्टर, मंडल पंचायत, जनपद सभा या तहसील पंचायत के किसी ऐसे अधिकारी या सेवक की सेवाएं समाप्त करने के लिए सक्षम होगा, जो उसकी राय में किसी अन्य स्थानीय निकाय में उपयुक्त रूप से समाहित नहीं किया जा सकता है या जो, यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत की अपेक्षा के लिए आवश्यक या उपयुक्त नहीं है, ऐसे अधिकारी या सेवक को ऐसी सूचना देने के पश्चात्, जो उसके नियोजन की शर्तों के अनुसार दी जानी अपेक्षित है और प्रत्येक अधिकारी या सेवक, जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, ऐसे अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि और उपदान का अधिकारी होगा, जिसे वह सेवा से अविधिमान्य होने पर लेने या प्राप्त करने का अधिकारी होता, मानो वह मंडल पंचायत, जनपद सभा या तहसील पंचायत, जिसके नियोजन में वह था, का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ होता।

390. विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्ति :- इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से ठीक पूर्व धारा 388 में वर्णित निकायों के या उनके नियंत्रण के अधीन सभी कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन उनके स्थान पर स्थापित और गठित समझे जाने वाले निकायों के कर्मचारी समझे जाएंगे:

परन्तु ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबंधन तब तक कम अनुकूल नहीं होंगे जब तक कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित न कर दिया जाए, जो पूर्वोक्त निकायों की सेवा में रहते हुए उन्हें अनुज्ञेय हों।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद पंचायत, सारंगढ़ ने वर्ष 1983 में पेंशन और उपदान प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाए थे और उक्त नियमों को अधिनियम, 1962 की धारा 147 (ख) और (ग) के अंतर्गत अनुमोदन के लिए भेजा गया था। यह स्वीकृत है कि राज्य सरकार द्वारा कभी भी अनुमोदन नहीं दिया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को अवलोकन करने के पश्चात, मेरा विचार है कि अधिनियम, 1962 की धारा 386, अधिनियम, 1948 की धारा 70 को संरक्षित नहीं करती है। अधिनियम, 1962 की धारा 386 केवल उन कार्यों या लाभों को संरक्षित करती है जो अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारियों को अधिनियम, 1962 के अस्तित्व में आने से पहले दिए गए थे। अधिनियम, 1948 की धारा 70 कुछ शर्तों के अधीन पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान करती है, सर्वप्रथम, धारा 182 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन, नियम कभी नहीं बनाए गए थे। द्वितीय, राज्य सरकार से 'सामान्य' या 'विशेष' अनुमोदन के साथ उन्हें पेंशन देने या उनकी ओर से पेंशन और उपदान के लिए सदस्यता लेने के लिए, जो वर्तमान प्रकरण में सामान्य अनुमोदन या किसी विशेष अनुमोदन द्वारा कभी नहीं दी गई थी।

13. उच्चतम न्यायालय ने **गजराज सिंह एवं अन्य बनाम राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण एवं अन्य ((1997) 1 एस.सी.सी. 650)** में एक अधिनियम को निरस्त करने के प्रभाव पर विचार करते हुए, निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> *"22. जब भी किसी अधिनियम को निरस्त किया जाता है, तो उसे विगत और समाप्त हो चुके लेन-देनों को छोड़कर, इस प्रकार माना जाना चाहिए मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। इसका प्रभाव यह होगा कि वह अधिनियम संसद के अभिलेख से पूरी तरह से नष्ट*

हो जाएगा मानो वह कभी पारित ही न हुआ हो; वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था सिवाय उन कार्यों के प्रयोजन के जो तब आरंभ, अभियोजित और संपन्न किए गए थे जब वह विद्यमान विधि था.....”

“24. जब निरसन और साथ ही पुनः अधिनियमन होता है, तो ऐसे प्रकरणों में छ.ग. अधिनियम की धारा 6 लागू होगी, जब तक कि निरसन अधिनियम से विपरीत आशय का पता न चल जाए। ऐसे मामलों में धारा 6 लागू होगी, जब तक कि नए विधि में उस धारा के अनुप्रयोग के साथ असंगत या उसके विपरीत आशय प्रकट न हो। ऐसी असंगति को नए अधिनियम के सभी सुसंगत प्रावधानों से सुनिश्चित करना होगा। इसलिए, जब निरसन के बाद उसी विषय पर एक नया विधि बनाया जाता है, तो निस्संदेह न्यायालय को केवल यह निर्धारित करने के लिए नए अधिनियम के प्रावधानों को देखना होगा कि क्या नया अधिनियम अलग आशय का संकेत देता है। निरसन और पुनः अधिनियमन का उद्देश्य निरसित अधिनियम को समाप्त करना और कुछ अप्रचलित विषयों से छुटकारा पाना है।”

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा लिखित वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों (दसवां संस्करण), 2006 के पृष्ठ 635 में अर्जित अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में विद्वान लेखक ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के खंड (ग) से (ङ) का प्रभाव, संक्षेप में, किसी विधि के निरसन के बाद भी उसके विलोपन को रोकना है, ताकि उसके संचालन के दौरान अर्जित या उपार्जित अधिकारों और दायित्वों को अक्षुण्ण रखा जा सके और किसी विधिक कार्यवाही को जारी रखने या प्रारंभ करने या किसी उपाय का सहारा लेने की अनुमति दी जा सके, जो ऐसे अधिकारों और दायित्वों के प्रवर्तन के लिए निरसन से पहले उपलब्ध हो सकता था।"

15. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह नहीं है कि वह अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत पेंशन पाने का हकदार है। वैसे भी, 1962 के बाद कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति प्राप्त है या नहीं, यह विवाद्यक **जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत कर्मचारी संघ एवं अन्य** (उपरोक्त) के प्रकरण में युगलपीठ के समक्ष विचाराधीन था। यह निर्णय वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य पर भी बाध्यकारी है क्योंकि यह निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से पहले सुनाया गया था और दूसरी बात यह कि याचिकाकर्ता 1992 में सेवानिवृत्त हुए थे जब यह अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था।

16. याचिकाकर्ता का यह निवेदन कि राज्य सरकार को अनुमोदन/मंजूरी देने का निर्देश दिया जाए, इस याचिका में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक रिट द्वारा राज्य सरकार को पेंशन या कोई अन्य लाभ प्रदान करने के लिए नीति बनाने या प्रावधान करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

17. वर्तमान प्रकरण में जब अधिनियम, 1948 निरस्त किया गया था, याचिकाकर्ता सेवा में था और याचिकाकर्ता को अधिनियम, 1948 की धारा 70 के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। याचिकाकर्ता दिनांक 30.04.1992 को सेवानिवृत्त हुआ जब अधिनियम, 1962 लागू था और जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारी को पेंशन के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था।

18. अधिनियम, 1962 के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने के विवाद्यक के संबंध में, मैं **जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत कर्मचारी संघ एवं अन्य** (उपरोक्त) में म.प्र. उच्च न्यायालय के निर्णय से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ।

19. उपर्युक्त कारणों से, यह याचिका खारिज की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
श्री सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : Kamlesh Kumar Sahu